

कॉरपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
1	श्री ब्रम्ह स्वरूप शर्मा	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	2578	12.12.18
2	श्री शंकर लाल	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	3018	31.12.18
3	श्रीमती पुष्पा शुक्ला पत्नी स्व० अशोक कुमार शुक्ला	कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०)	लखनऊ	6	01.01.19
4	श्रीमती जयमन्ती देवी पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र	अवर अभियन्ता	एटा	39	02.01.19
5	श्री वीरेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	12	01.01.19
6	श्री रतन सिंह	अवर अभियन्ता	एटा	2879	26.12.18
7	श्री महेश चन्द्र मिश्रा	अवर अभियन्ता	झांसी	2958	28.12.18
8	श्री सुरेश कुमार खत्री	अवर अभियन्ता	झांसी	2910	26.12.18
9	श्री देवेन्द्र नारायण दीक्षित	अवर अभियन्ता	झांसी	2971	28.12.18
10	श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता	अवर अभियन्ता	हाथरस	2884	26.12.18
11	श्री पी०के० हजेला	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	2882	26.12.18
12	श्री दरश शर्मा	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	2946	27.12.18
13	श्री खुमानी लाल	अवर अभियन्ता	झांसी	2956	28.12.18
14	श्री प्रकाश नारायण श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	झांसी	2969	28.12.18
15	श्री वीरेन्द्र सिंह द्विवेदी	अवर अभियन्ता	झांसी	2960	28.12.18
16	श्री आर०एस० चौरसिया	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	2907	26.12.18
17	श्री अनामुल्लाह	अवर अभियन्ता	कुशीनगर	6365	28.12.18
18	श्री कैलाश नाथ तलवाड़	अवर अभियन्ता	झांसी	2978	28.12.18
19	श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व० दीन दयाल दशाधारी	अवर अभियन्ता	झांसी	2979	28.12.18
20	श्री नेमी चन्द्र अग्रवाल	अवर अभियन्ता	आगरा	2982	28.12.18
21	श्री काशी नाथ श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	झांसी	2970	28.12.18
22	श्री मौजी राम	अवर अभियन्ता	मिर्जापुर	153	05.01.19
23	श्री ललित किशोर	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	112	04.01.19
24	श्री उमा शंकर मिश्रा	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	3022	31.12.18
25	श्री उमाकान्त उपाध्याय	अवर अभियन्ता	फर्रुखाबाद	219	07.01.19
26	श्रीमती वीना द्विवेदी पत्नी स्व० रमाकान्त द्विवेदी	अवर अभियन्ता	एटा	222	07.01.19
27	श्री दया शंकर तिवारी	अवर अभियन्ता	मऊ	246	08.01.19
28	श्री कृष्ण चन्द्र यादव	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	247	08.01.19
29	श्री रमा शंकर सिंह	अवर अभियन्ता	मऊ	244	08.01.19
30	श्री दाऊ दयाल सावंत	कार्यालय अधीक्षक	लखनऊ	97	04.01.19
31	श्री चन्द्र मूषण मिश्र	अवर अभियन्ता	वाराणसी	149	05.01.19
32	श्रीमती बासमती देवी पत्नी स्व० कवल नाथ शर्मा	अवर अभियन्ता	सोनभद्र	178	05.01.19
33	श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी स्व० गिरीश नारायण सिंह	अवर अभियन्ता	देवरिया	175	05.01.19
34	श्री हौसला प्रसाद	संगणक	सोनभद्र	93	04.01.19
35	श्री इन्द्रपाल सिंह	अवर अभियन्ता	आगरा	150	05.01.19
36	श्री गिरिवर धारी तिवारी	अवर अभियन्ता	वाराणसी	94	04.01.19
37	श्री गुप्तेश्वर सिंह	अवर अभियन्ता	वाराणसी	95	04.01.19
38	श्री धर्मपाल सिंह	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	86	04.01.19
39	श्री जय सिंह	अवर अभियन्ता	फतेहपुर	220	07.01.19
40	श्री हेमपाल सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	240	07.01.19
41	श्री राम नारायण यादव	अवर अभियन्ता	मिर्जापुर	241	07.01.19
42	श्री कान्ती प्रसाद शर्मा	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	274	09.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
43	श्री महेश कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	मेरठ	289	09.01.19
44	श्रीमती बैदेही पाठक पत्नी स्व० बी०बी० पाठक	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	144	05.01.19
45	श्री नर सिंह राय शर्मा	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	85	04.01.19
46	श्री वेद प्रकाश पाठक	अवर अभियन्ता	मऊ	163	05.01.19
47	श्री मनीकान्त मिश्रा	अवर अभियन्ता	एटा	169	05.01.19
48	श्री राम सेवक प्रसाद	अवर अभियन्ता	भदोही	156	05.01.19
49	श्री चौधरी प्रसाद वर्मा	अवर अभियन्ता	गोण्डा	157	05.01.19
50	श्री हबबी बक्श	अवर अभियन्ता	आगरा	81	03.01.19
51	श्री ब्रम्हचारी	अवर अभियन्ता	वाराणसी	249	08.01.19
52	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	296	09.01.19
53	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	295	09.01.19
54	श्री ऋषि पाल सिंह	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	291	09.01.19
55	श्री राम मूर्ति राम	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	216	07.01.19
56	श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० मुल्कराजेन्द्र	अवर अभियन्ता	एटा	250	08.01.19
57	श्री नागेन्द्र नाथ सिंह	अवर अभियन्ता	जौनपुर	242	08.01.19
58	श्री प्रभाकर नाथ पाण्डेय	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	239	07.01.19
59	श्री भरत प्रसाद	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	218	07.01.19
60	श्री बेचन सिंह	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	215	07.01.19
61	श्री राज कुमार विश्वकर्मा	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	228	07.01.19
62	श्री गिरीश प्रकाश श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	इलाहाबाद	234	07.01.19
63	श्रीमती निसार फातिमा पत्नी स्व० सैय्यद आरिफ हुसैन	अवर अभियन्ता	जौनपुर	210	09.01.19
64	श्री पुष्कल सिंह	अवर अभियन्ता	बलिया	96	04.01.19
65	श्री रविन्द्र प्रसाद	अवर अभियन्ता	बलिया	326	10.01.19
66	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	327	10.01.19
67	श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल पत्नी स्व० कृष्ण अवतार अग्रवाल	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	320	10.01.19
68	श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता	अवर अभियन्ता	मेरठ	319	10.01.19
69	श्री धमेन्द्र कुमार आर्या	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	315	10.01.19
70	श्री ब्रम्ह प्रकाश सक्सेना	अवर अभियन्ता	कानपुर नगर	334	10.01.19
71	श्री मुस्तफा हसन ईसराईली	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	325	10.01.19
72	श्री आनन्द पाल सिंह	अवर अभियन्ता	फिरोजाबाद	335	10.01.19
73	श्री चतुर्भुज नारायण सिंह	अवर अभियन्ता	लखनऊ	329	10.01.19
74	श्री राधेश्याम पाण्डेय	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	3027	31.12.18
75	श्रीमती रमावती देवी पत्नी स्व० चन्द्रशेखर लाल	अवर अभियन्ता	सोनभद्र	251	08.01.19
76	श्री आनन्द कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	323	10.01.19
77	श्री जगदीश नारायण पाठक	अवर अभियन्ता	वाराणसी	322	10.01.19
78	श्री मुनेन्द्र कुमार जैन	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	298	09.01.19
79	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	अवर अभियन्ता	एटा	299	09.01.19
80	श्री नवी आलम खान	अवर अभियन्ता	लखनऊ	225	07.01.19
81	श्री भोरई राम	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	101	04.01.19
82	श्री शाहिद हुसैन	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	232	07.01.19
83	श्री सुभाष चन्द्र	अवर अभियन्ता	मेरठ	678	17.01.19
84	श्री रामधन	अवर अभियन्ता	लखनऊ	470	15.01.19
85	श्री मगन सिंह ठाकुर	संगणक	लखनऊ	463	15.01.19
86	श्री गिरीश चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	अमरोहा	671	16.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
87	श्री नित्या नन्द पाण्डेय	कार्यालय सहायक-द्वितीय	लखनऊ	350	11.01.19
88	श्रीमती शशी किरन गुप्ता	अवर अभियन्ता	लखनऊ	358	11.01.19
89	श्री श्रीराम गुप्ता	आशुलिपिक	लखनऊ	357	11.01.19
90	श्री श्याम बाबू चतुर्वेदी	अवर अभियन्ता	कानपुर नगर	669	16.01.19
91	श्री धर्मवीर सिंह	अवर अभियन्ता	आगरा	551	16.01.19
92	श्री सुरेश चन्द्र यादव	अवर अभियन्ता	लखनऊ	359	11.01.19
93	श्री बालकृष्ण श्रोतिया	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	461	15.01.19
94	श्री दिनेश कुमार वर्मा	अवर अभियन्ता	कानपुर नगर	553	16.01.19
95	श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर	अवर अभियन्ता	आगरा	676	17.01.19
96	श्री विजय कुमार यादव	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	477	15.01.19
97	श्री गोकुल चन्द्र	अवर अभियन्ता	हरदोई	462	15.01.19
98	श्री ओम प्रकाश बहुखण्डी	सांख्यिकीय सहायक	लखनऊ	347	11.01.19
99	श्री महावीर सिंह नेगी	संगणक	लखनऊ	349	11.01.19
100	श्री गिरीश चन्द्र अग्रवाल	अवर अभियन्ता	आगरा	474	15.01.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 298/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1011/02-03

दिनांक: 09.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1082 दिनांक 27.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	29.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरिता जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.03.1949
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7102/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2840/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4262/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2840/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64603/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 298/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1011/02-03 दिनांक: 09.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-53, जैन मिलन बिहार, जानपद रोड, मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 299/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/711/98-99

दिनांक: 09.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
एटा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	820 दिनांक 19.11.1998
(ग) जन्मतिथि	:	08.09.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ज्ञाना देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1730/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	576/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1154/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	600/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 299/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/711/98-99 दिनांक: 09.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा को सेवानिवृत्त का मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-128, शान्ती नगर, एटा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 225/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1343/03-04

दिनांक: 07.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नवी आलम खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नवी आलम खान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1411 दिनांक 01.09.2003
(ग) जन्मतिथि	:	22.12.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नसीम बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1958
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5903/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2361/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3542/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2361/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63189/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 225/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1343/03-04

दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री नवी आलम खान, से०नि० अवर अभियन्ता, 71 समर विहार कालोनी आलमबाग, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 101/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6146/14-15

दिनांक: 04.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भोरई राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भोरई राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5208 दिनांक 26.09.2014
(ग) जन्मतिथि	:	03.01.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पन्ना देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	03.01.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	27790 + 6600 = 34390/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17195/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6878/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10317/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17195/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10317/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6878/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38272/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/- दिनांक 02.01.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/- दिनांक 03.01.2020 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 101/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6148/14-15

दिनांक: 04.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री भोरई राम, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गा० जमीन सिकरीरा, पो०-भुवना बुजुर्ग, आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 232/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4378/09-10

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शाहिद हुसैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शाहिद हुसैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3989 दिनांक 05.10.2009
(ग) जन्मतिथि	:	29.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमर जहाँ
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.05.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	46870+8900=55770/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63778/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	73800/- दि० 28.07.2016 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	44280/- दि० 29.07.216 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 232/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4378/09-10 दिनांक: 07.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, हाइडिल निरीक्षण भवन, लालडिगगी अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम अलीगढ़।
4. श्री शाहिद हुसैन, से०नि० अवर अभियन्ता, 4/617 हमदर्द नगर 'ए' जमालपुर, अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

हाइडिल (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 678/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2475/05-06

दिनांक: 17.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवृत्त
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	2776 दिनांक 19.05.2006
(ग) जन्मतिथि	10.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेमलता रस्तोगी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28.07.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	9538/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3815/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	5723/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6402
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) ऐमैटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 के संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	63220/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3815/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कारपोरेशन द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो के मुताबिक वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुगति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 के अवधि में उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुताबिक के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रत्येक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 678/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2475/05-06 दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्री सुभाष चन्द्र, से0नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए-38, राजेन्द्र पुरम, मवाना रोड, मेरठ, यू0पी0-250021.
- सचिव उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 470/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4988/12-13

दिनांक: 15.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामधन, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामधन, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है -

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4722 दिनांक 10.09.2012
(ग) जन्मतिथि	15.02.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शिवलली देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 29.02.2012
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान छठवीं वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) 9300+34800 ग्रे०पे० 6600
 (घ) वेतन 27860+6600=34460/-
 (ङ) मूल पेंशन 17230/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग 6892/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 10338/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 10338/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) मैट्रिक्स 09
 (ख) निर्धारित वेतन 90300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 45150/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 45150/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन 6892/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 38258/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 27090/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुनः आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 470/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4988/12-13 दिनांक 15.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, सामग्री प्रबंध ए 708, सेक्टर "सी" महानगर लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई(पेंशन सेल) शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री रामधन, से०नि० अवर अभियन्ता, वी-28, शंकरपुरी कालोनी कयना चिन्हट, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत
पंजीकृत

राम बहादुर झा
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 463/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4486/09-10

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
लखनऊ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मगन सिंह ठाकुर, रोवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मगन सिंह ठाकुर, रोवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधीक्षक
(ख) पी०पी०आ० संख्या एवं दिनांक	4087 दिनांक 02.02.2010
(ग) जन्मतिथि	02.02.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रमिला ठाकुर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.02.1950
2. (क) रोवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8550 13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रैंड पे)	15600 39100 ग्र०पे० 5400
(घ) वेतन	13225 / -
(ङ) मूल पेंशन	6599 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2639 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3960 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3968 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिशिष्टीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंसिटिक्स	10
(ख) फिक्स्ड वेतन	77,700 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 के संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	38850 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	28050 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	38850 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	2639 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	36211 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	23310 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कार्यालय द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का सुगमन व्यवस्थापन शरान द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि के उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगमन के सम्बन्ध में शरान की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 463/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4486/09-10 दिनांक: 15.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिशासी अभियन्ता वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता सामग्री प्रबंध 30प्र0पा०का०लि० २-708 सेक्टर सी महानगर लखनऊ को सेवापूर्विकता मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड रहीम नगर, लखनऊ।
4. श्री मगन सिंह ठाकुर, सी०नि० संगणक, सी० 5/2 पेपर मिल कालोनी, निशातगंज, लखनऊ।
5. सचिव, 30प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइड ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 671/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3027/07-08

दिनांक: 16.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अमरोहा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षतः
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3256 दिनांक 02.06.2007
(ग) जन्मतिथि	01.10.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राज रानी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.09.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छैठवां वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे 5400
 (घ) वेतन : 22880 + 5400 = 28280/-
 (ङ) मूल पेंशन : 8187/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3274/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4913/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4961/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 73400/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन :-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 36700/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 36700/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 5234/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 31466/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 22020/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार द्वारा सम्बन्ध में पुनः आदेश जारी किया जायेगा।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 671/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3027/07-08 दिनांक: 16.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।
3. श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, रो०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-बाजार, कोअ-अमरोहा, जिला-जो०पी० नगर।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 350/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2581/06-07

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
अदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नित्या नन्द पाण्डेय, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नित्या नन्द पाण्डेय, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2905 दिनांक 29.07.2006
(ग) जन्मतिथि	:	02.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती देवकी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.04.2006 31.1.2006 *Shy*
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे० 5400
 (घ) वेतन : 17950 + 5400 = 23350 /-
 (ङ) मूल पेंशन : 6210 /-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2404 /-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3726 /-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3725 /-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेंमैटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 61500 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 30750 /-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550 /-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 30750 /-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2484 /-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये : 28266 /-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 18450 /-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 350/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2581/06-07 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री नित्या नन्द पाण्डेय, से०नि० कार्यालय सहायक-द्वितीय, निवासी सी 70, नेहरू विहार, कल्याणपुर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पजीकृत

Shy
राम लाल दूर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 358/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4559/10-11

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शशी किरन गुप्ता, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शशी किरन गुप्ता, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	4176 दिनांक 04.06.2010
(ग) जन्मतिथि	02.12.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री महेश चन्द्र गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.08.1943
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2009
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 15600-39100 ग्रेड पे 5400
 (घ) वेतन : 25510 + 5400 = 30910
 (ङ) मूल पेंशन : 15165/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6066/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 9099/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 15165/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9099/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 10
 (ख) निर्धारित वेतन : 80000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 40000/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 28050/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 40000/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6066/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 33934/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 40000/- दिनांक 01.12.2016 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 24000/- दिनांक 02.12.2016 से अग्रतर
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 358/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4559/10-11 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती शशी किरन गुप्ता, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-96/189, रोशन बजाज लेन, पुरवा गनेश गैज, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 357/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1048/02-03

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रीराम गुप्ता, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रीराम गुप्ता, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1099 दिनांक 04.02.2003
(ग) जन्मतिथि	25.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | 31.07.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | 10650-15200 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | 15600-39100 ग्रेड पे 6600 |
| (घ) वेतन | 12275/- |
| (ङ) मूल पेंशन | 5200/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 2080/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 3120/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	11
(ख) निर्धारित वेतन	76200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	38100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	38100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	36020/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 357/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1048/02-03 दिनांक: 11.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री श्रीराम गुप्ता, से०लि० आशुलिपिक, निवासी- इस्माईल गंज, चिनहट, लखनऊ।
- सचिव, 30प्र0 पावर संस्तर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पजीकृत

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

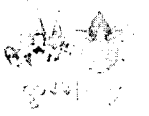
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 669/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1941/04-05

दिनांक: 16.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्याम बाबू चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्याम बाबू चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	2023 दिनांक 01.12.2004
(ग) जन्मतिथि	01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती यमवती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2004
(ख) तत्कालीन लागू वेतनमान	8550 13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	10750 / -
(ङ) मूल पेंशन	4460 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	1784 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2678 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन सम्भारण दर पर	2850 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	67200 / -
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	33600 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	31564 / -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	31564 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	1784 / -

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	29779 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (सम्भारण दर पर)	20160 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त सिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि के उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पत्रक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 669/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1941/04-05 दिनांक: 16.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर।
3. श्री श्याम बाबू चतुर्वेदी, सी0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी कुंज बिहार प्लॉट नं०, 40, गल्ला मण्डी, गौबस्ता, कानपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी(पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 551/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4816/11-12

दिनांक: 16.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धर्मवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धर्मवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पीपी0अ0 संख्या एवं दिनांक	4536 दिनांक 20.10.2011
(ग) जन्मतिथि	09.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती श्रीदेवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड 0 पे0 8900
(घ) वेतन	46310 + 8900 = 55210
(ङ) मूल पेंशन	23615/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	9446/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	14169/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14169/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	9446/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	62204/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रत्येक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 551/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4816/11-12 दिनांक 16.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता: वेब उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
3. श्री धर्मवीर सिंह, सी0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-27, दीप नगर, आगरा।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (पेंशनर)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 359/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4136/07-08

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3482 दिनांक 19.02.2008
(ग) जन्मतिथि	05.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना यादव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	23400 + 5400 = 28800/-
(ङ) मूल पेंशन	8250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	75600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	37800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	37800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3300/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	34500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	22680/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुनः आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 359/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4136/07-08 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

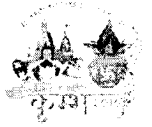
- अधिशारी अभियन्ता, वेब 3090 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री सुरेश चन्द्र यादव, सी०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डायमंड डेरी, 10 कैन्ट रोड, उडयगंज, लखनऊ।
- सचिव 3090 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 461/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4202/08-09

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बाल कृष्ण श्रोतिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बाल कृष्ण श्रोतिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3809 दिनांक 03.07.2008
(ग) जन्मतिथि	:	09.05.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम श्रोतिया
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.07.1953
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेडपे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 19550/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 9547/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 3818/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 5729/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5816/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 65 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3818/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64679/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 461/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4202/08-09 दिनांक: 15.01.2019

प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, विद्युत भवन गैलाना रोड, आगरा को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
- श्री बालकृष्ण श्रोतिया, सं०पि० अवर अभियन्ता, डी-3, गोपाल आपर्टमेन्ट, जनकपुरी, अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 553/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1396/03-04

दिनांक: 16.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	1491 दिनांक 01.11.2003
(ग) जन्मतिथि	01.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.03.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.01.2002
 (ख) तत्कालीन लागू वेतनमान 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड में) 37400-67000 ग्रैंड 8900
 (घ) वेतन 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन 6319/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग 2527/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 3792/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 4170/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 60 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) ऐमैटिक्स 13
 (ख) निर्धारित वेतन 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में 63228/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन 2586/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 62964/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान दत्तमान व शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 553/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1396/03-04 दिनांक: 16.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, कानपुर।
3. श्री दिनेश कुमार वर्मा, सं०गि० अवर अभियन्ता, निवासी 195, सी ब्लॉक, पनकी कानपुर।
4. रायिव उ0प्र0 पावर संस्तर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 676/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6385/15-16

दिनांक: 17.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5453 दिनांक 14.09.2015
(ग) जन्मतिथि	24.12.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता बाली
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2014
(ख) उत्तरमय लागू वेतनमान	छहवीं वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रैंड पे)	9300-34800 पे०पे० 6600
(घ) वेतन	27230 + 6600 = 33830 / -
(ङ) मूल पेंशन	16915 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6766 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10149 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16915 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10149 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	87700 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	43850 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550 / -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लागू प्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	43850 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	6766 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका राजान न लिया जाये	37084 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	43850 / - दि० 23.12.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26310 / - दि० 24.12.2021 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 676/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6385/15-16

दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड, फिरोजाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम आगरा।
4. श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर, सी०नि० अवर अभियन्ता, 31, गणेश बिहार, सिकन्दरा रेलवे फाटक के पास आगरा।
5. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत

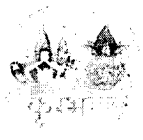
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 477/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4267/08-09

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विजय कुमार यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3861 दिनांक 06.11.2008
(ग) जन्मतिथि	:	12.05.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राज दुलारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.07.1945
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.05.2002
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7244/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2897/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4347/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4560/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 64 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 67443/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 67443/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2897/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 64546/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 477/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4267/08-09

दिनांक: 15.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेक्षण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद, 400 के०वी० उपसंस्थान परिसर, दिल्ली रोड, मझोला मुरादाबाद।
4. श्री विजय कुमार यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सराय कोठी बालान जी०एम०डी० रोड, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज कुमार

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

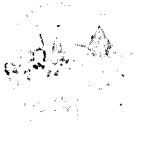
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 462/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4665/10-11

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हरदोई।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोकुल चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोकुल चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	4283 दिनांक 04.01.2011
(ग) जन्मतिथि	01.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जय देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.02.1951
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | 31.01.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | छठवां वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | 9300-34800 ग्रेड पे 5400 |
| (घ) वेतन | 20130 + 5400 = 25530/- |
| (ङ) मूल पेंशन | 11645/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | 4658/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 6987/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | 11645/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 6987/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	67200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या: 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू प्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	4658/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	28942/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	33600/- दिनांक 31.12.2016 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	20160/- दिनांक 01.01.2017 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कारपोरेशन द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 462/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4665/10-11 दिनांक 15.01.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- अधिशारी अभियन्ता, वेब 3090 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई।
- श्री गोकुल चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी- ग्राम 0 मदहा, पो 0 बेनीगज, जिला, हरदोई।
- सचिव, 3090 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 347 / मु0अभि0(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4303 / 08-09

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
अदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती ओम प्रकाश बहुखण्डी, सेवानिवृत्त साँख्यकीय सहायक की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश बहुखण्डी, सेवानिवृत्त साँख्यकीय सहायक की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	3912 दिनांक 04.04.2009
(ग) जन्मतिथि	14.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरिता बहुखण्डी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.06.1956
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि 31.01.2009
- (ख) तत्समय लागू वेतनमान छठवें वेतनमान
- (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) 9300-34800 ग्रेड पे 5400
- (घ) वेतन 26840 + 5400 = 32240 / -
- (ङ) मूल पेंशन 10125 / -
- (च) पेंशन का राशिकृत भाग 4050 / -
- (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 6075 / -
- (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर 10125 / -
- (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 6075 / -
- (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	85100 / -
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	42550 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	42550 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	4050 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	3850 / - 32240
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	25530 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या: 347 / मु0अभि0(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4303 / 08-09 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री ओम प्रकाश बहुखण्डी, से०नि० साँख्यकीय सहायक, निवासी-डी०-133/02, से०-07, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 349/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2685/06-07

दिनांक: 11.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
अदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महावीर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महावीर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	2898 दिनांक 28.07.2006
(ग) जन्मतिथि	05.05.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुलोचना नेगी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.09.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.05.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	22050 + 5400 = 27450/-
(ङ) मूल पेंशन	8250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3300/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	32350/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान क्रमशः शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि में उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 349/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2685/06-07 दिनांक: 11.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री महावीर सिंह नेगी, से0नि0 संगणक, निवासी-52, दीपकनगर, से0-09, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राम बहादुर 11/1/19

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 474 / मु0अभि0(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2781 / 06-07

दिनांक: 15.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गिरिश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गिरिश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्धित
(ख) पीपीओअंत संख्या एवं दिनांक	3016 दिनांक 10.10.2006
(ग) जन्मतिथि	02.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.01.1950
(क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	31.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	56870 / -
(ङ) मूल पेंशन	11400 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	4560 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	6840 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6840 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	147600 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन -

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	73800 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	73800 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	4560 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	69240 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	44280 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का संगतमान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पुष्टक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 474 / मु0अभि0(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2781 / 06-07 दिनांक 15.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिशासी अभियन्ता, एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आगरा।
3. श्री गिरिश चन्द्र अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 23, राजनगर, भजनगंज, अजमेर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 220/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6268/14-15

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फतेहपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जय सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जय सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5316 दिनांक 23.02.2015
(ग) जन्मतिथि	:	01.02.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ललिता सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.10.1959
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2012 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 27170+6600=33770/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 16885/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 6754/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10131/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 16885/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10131/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/- दि० 31.01.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/- दि० 01.02.2019 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 220/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6268/14-15 दिनांक: 07.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय फतेहपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम फतेहपुर।
- श्री जय सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-पूरेखान, पोस्ट-बगवना, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम मन्दार

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 240/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6841/17-18

दिनांक: 07.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हेमपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हेमपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक	:	5899 दिनांक 04.09.2017
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नरायणी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे 6600
(घ) वेतन	:	24120 + 6600 = 30720/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15360/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6144/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9216/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15360/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9216/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6144/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33956/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	40100/- दिनांक 30.09.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/- दिनांक 01.10.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 240/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6841/17-18 दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, आगरा को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
4. श्री हेमपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-डण्डोली, पोस्ट-साधु आश्रम, अतरोली, अलीगढ़।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम कुमार
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 241/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5230/13-14

दिनांक: 07.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मिर्जापुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम नरायन यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम नरायन यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4978 दिनांक 18.11.2013
(ग) जन्मतिथि	:	10.01.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.01.1957
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	26530 + 6600 = 33130/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16255/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6502/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9753/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16255/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9753/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6502/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37348/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/- दिनांक 09.01.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/- दिनांक 10.01.2020 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 241/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5230/13-14 दिनांक: 07.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, भदोही को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
4. श्री राम नरायन यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बडी बसही, जंगी रोड, मिर्जापुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कारपोरेशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 274 / मु0अभि0(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6567 / 16-17

दिनांक: 09.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कान्ती प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कान्ती प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5634 दिनांक 21.06.2016
(ग) जन्मतिथि	:	05.12.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती योगेश शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.05.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	30320 + 6600 = 36920 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	18460 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7384 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11076 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18460 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11076 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7384 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40516 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900 /- दिनांक 04.12.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740 /- दिनांक 05.12.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 274 / मु0अभि0(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6567 / 16-17

दिनांक: 09.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, एटा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
4. श्री कान्ती प्रसाद शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-पाण्डेय टेन्ड हाउस, प्रतिमा कालोनी, थाना-बन्ना देवी, अलीगढ़।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कारपोरेशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 289/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1561/03-04

दिनांक: 09.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1599 दिनांक 19.01.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6589/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2635/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3954
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64281/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2635/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62915/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 289/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1561/03-04 दिनांक: 09.01.19

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मेरठ।
3. श्री महेश कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-354, गली नं० 07, फूल बाग कालोनी, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 144/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1148/02-03

दिनांक: 05.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती बैदेही पाठक पत्नी स्व० श्री बी० बी० पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती बैदेही पाठक पत्नी स्व० श्री बी० बी० पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1200 दिनांक 31.03.2003
(ग) जन्मतिथि	:	21.04.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बैदेही पाठक
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) मृत्यु तिथि	:	31.10.2007
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900/-
(घ) वेतन	:	19550
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 144/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1148/02-03

दिनांक: 05.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्रीमती बैदेही पाठक पत्नी स्व० श्री बी० बी० पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सत्य सदन सिधारी, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 85/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/841/99-2000

दिनांक: 04.12.2019

04.01.2020

सिद्धि

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नर सिंह राय शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नर सिंह राय शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	944 दिनांक 13.08.1999
(ग) जन्मतिथि	:	02.01.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.01.1999
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे 8900
 (घ) वेतन : 18650/-
 (ङ) मूल पेंशन : 5965/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2386/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3579/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4073/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 58 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 59318/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 65550/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 85/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/841/99-2000

दिनांक: 04.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, शहरी प्रेषण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
4. श्री नर सिंह राय शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-607-सी शिवाला नगर, मोहददीपुर, गोरखपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

04.01.2020



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 163/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6602/16-17

दिनांक: 05.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री वेद प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री वेद प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5696 दिनांक 22.09.16
(ग) जन्मतिथि	:	03.07.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आरती पाठक
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	31.07.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	29240+6600=35840/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17920/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7168/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10752/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17920/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10752/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7168/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39332/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दि० 02.07.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/- दि० 03.07.2021 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 163/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6602/16-17

दिनांक: 05.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मऊ को सेवामुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मऊ।
- श्री वेद प्रकाश पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-पाठक की चकिया (विशुनपुर मथुरा) पो०-डहराकला, जिला-गाजीपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 169/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/95/2000-01

दिनांक: 05.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
एटा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मनीकान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मनीकान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	109 दिनांक 25.05.2000
(ग) जन्मतिथि	:	02.05.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लता चौबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	11850/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को

संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग

पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	35650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	21390/-
	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 169/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/95/2000-01

दिनांक: 05.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, मैनपुरी को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा।
4. श्री मनीकान्त मिश्रा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-478, गली चिरोजी लाल, बेरुन गंज, एटा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 156/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6240/14-15

दिनांक: 05.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
भदोही

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम सेवक प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम सेवक प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5269 दिनांक 27.12.2014
(ग) जन्मतिथि	: 01.07.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती सीता देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 20.08.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 30.06.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: 9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	: 24650 + 5400 = 30050/-
(ङ) मूल पेंशन	: 15025/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 6010/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 9015/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	: 15025/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 9015/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 09
(ख) निर्धारित वेतन	: 77900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 38950/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 38950/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 6010/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 32940/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	: 38950/- दि० 30.06.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 23370/- दि० 01.07.2018 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 156/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6240/14-15 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, भदोही।
3. श्री राम सेवक प्रसाद, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-रामगांव, पोस्ट-चोलापुर, वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कार्यालय (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 157/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4316/09-10

दिनांक: 05.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोण्डा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चौधरी प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चौधरी प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 3924 दिनांक 06.05.2009
(ग) जन्मतिथि	: 01.02.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती शीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: 9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	: 21020 + 5400 = 26420/-
(ङ) मूल पेंशन	: 7425/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2970/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4455/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	: लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4455/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 09
(ख) निर्धारित वेतन	: 69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 4524/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 30076/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 20760/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 157/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4316/09-10 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, गोण्डा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोण्डा।
4. श्री चौधरी प्रसाद वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-देवगा, पो०-मण्डक, जिला-गोण्डा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 81/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2720/06-07

दिनांक: 03.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हबीब बक्श, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हबीब बक्श, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2956 दिनांक 07.09.2006
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बिलकीश बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 10450/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4180/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6270/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6402/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 4180/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 65370/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 81/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2720/06-07

दिनांक: 03.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, शहरी विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, आगरा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
4. श्री हबीब बक्श, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-62/265 सी, नगला कछयान, मस्तफा क्वाअर कैन्ट, आगरा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 249/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6144/14-15

दिनांक: 08.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ब्रह्मचारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ब्रह्मचारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5180 दिनांक 05.09.2014
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इन्द्रावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	09.11.1961
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	26180 + 5400 = 31580/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15790/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6316/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9474/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	15790/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9474/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6316/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34984/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	41300/- दिनांक 06.07.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/- दिनांक 07.07.2018 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 249/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6144/14-15

दिनांक: 08.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, गाजीपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री ब्रह्मचारी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-झौवां, पो०-झौवां, वाराणसी।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 296/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4553/10-11

दिनांक: 09.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4171 दिनांक 02.06.2010
(ग) जन्मतिथि	:	01.04.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उषा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.08.1950
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.03.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 51440 + 8900 = 60340/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 24325/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 9730/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 14595/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 24325/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 14595/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	78300/- दिनांक 31.03.2016 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/- दिनांक 01.04.2016 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 296/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4553/10-11 दिनांक: 09.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-421, मम्बल वाला बाग, जानसद रोड, मुजफ्फरनगर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

29/1/19

राम कुमार

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 295/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2064/04-05

दिनांक: 09.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2154 दिनांक 12.04.2005
(ग) जन्मतिथि	:	05.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पार्वती गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.04.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेडपे0 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7503/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3001/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4502/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4560/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3001/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 66549/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 295/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2064/04-05 दिनांक: 09.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी०डी०-89, अवन्तिका कालोनी, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 291/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6408/15-16

दिनांक: 09.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री ऋषि पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री ऋषि पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिर्वर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5469 दिनांक 30.09.2015
(ग) जन्मतिथि	:	02.10.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1959
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 28560 + 6600 = 35160/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17580/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7032/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10548/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17580/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10548/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7032/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39468/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दिनांक 01.10.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/- दिनांक 02.10.2021 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 291/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6408/15-16 दिनांक: 09.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- श्री ऋषि पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1248/52, सरकुलर रोड, आनंद विहार मुजफ्फरनगर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम देहादर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 216/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2612/06-07

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम मूर्ति राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम मूर्ति राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2938 दिनांक 28.08.2006
(ग) जन्मतिथि	:	19.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इसरावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे0 6600)
(घ) वेतन	:	11850/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32350/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 216/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2612/06-07

दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, आजमगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम आजमगढ़।
4. श्री राम मूर्ति राम, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-लछिहरा, पोस्ट-मोहमौनी, जिला-आजमगढ़।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 250/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5072/12-13

दिनांक: 08.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
एटा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० मुल्कराजेन्द्र, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० मुल्कराजेन्द्र, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4814 दिनांक 23.02.2013
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.01.1971
 - | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 20.08.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रेड पे० 4200 |
| (घ) वेतन | : | 11790 + 4200 = 15990/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | 7995/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4797/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 53 छमाही |
 - दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	6 (सी)
(ख) निर्धारित वेतन	:	41400/-
 - प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	20700/- दिनांक 20.08.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	12420/- दिनांक 21.08.2019 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
 - कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 250/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5072/12-13 दिनांक: 08.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, एटा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा।
- श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व० मुल्कराजेन्द्र, अवर अभियन्ता, निवासी-मो० जय जय राम, रामवली कालोनी, कासगंज।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 242/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5260/13-14

दिनांक: 08.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
जौनपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4995 दिनांक 13.12.2013
(ग) जन्मतिथि	:	04.04.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राधिका सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.04.2013
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-24800 ग्रेड पे 6600
 (घ) वेतन : 27790 + 6600 = 34390 /-
 (ङ) मूल पेंशन : 17195 /-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर : 17195 /-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10317 /-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 90300 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 45150 /-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550 /-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 45150 /-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 45150 /-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) : 45150 /- दिनांक 03.04.2020 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27090 /- दिनांक 04.04.2020 से अग्रेतर
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 242/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5260/13-14
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 08.01.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जौनपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।
4. श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-जलालपुर, नियर पावर हाअस, जौनपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कारपोरेशन (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 239/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6696/16-17

दिनांक: 07.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रभाकर नाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रभाकर नाथ पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5767 दिनांक 10.02.2017
(ग) जन्मतिथि	:	15.08.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.08.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 30320 + 6600 = 36920/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 18460/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7384/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11076/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	47900/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7384/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40516/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 239/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6696/16-17
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 07.01.19

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
- श्री प्रभाकर नाथ पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-धनकपुर, शाहगढ़, आजमगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 218/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6449/15-16

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री भरत प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री भरत प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5510 दिनांक 09.12.2015
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1952 02.2.1953 <i>shy</i>
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे 4800) 6600 <i>shy</i>
(घ) वेतन	:	27170 + 6600 = 33770/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16885/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6754/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10131/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 218/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6449/15-16 दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मोहददीपुर, गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर।
4. श्री भरत प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-सोनूघाट, पोस्ट-गढेर, जिला-हेवरिया।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

shy
7/1/19

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 215/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4845/11-12

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री बेचन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री बेचन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4602 दिनांक 16.03.2012
(ग) जन्मतिथि	:	02.01.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे० 5400)
(घ) वेतन	:	22890+5400=28290/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14145/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5658/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8487/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14145/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8487/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	73400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	36700/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	36700/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5658/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31042/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	36700/- दि० 01.01.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22020/- दि० 02.01.2018 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 215/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4845/11-12
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 07.01.19

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम आजमगढ़।
- श्री बेचन सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-कटहन, पोस्ट-सिंहपुर, जिला-आजमगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

गम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लखनऊ (तेलन)

सहायक लेखाधिकारी (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 228/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6797/17-18

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राज कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राज कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5864 दिनांक 12.07.2017
(ग) जन्मतिथि	:	10.11.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कलावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	23.03.1958
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	31000+6600=37600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18800/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7520/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11280/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	:	18800/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11280/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	98700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	49350/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	49350/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7520/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	41830/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	:	49350/- दि० 09.11.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	29610/- दि० 10.11.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 228/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6797/17-18 दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री राज कुमार विश्वकर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, मोहल्ला-ओमशान्तिपुरम, सडबाकला, टी0एस0एल0, नैनी प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 234/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/7000/18-19

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गिरीश प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गिरीश प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	6077 दिनांक 18.07.2018
(ग) जन्मतिथि	:	01.12.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती किरन श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.01.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-24800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	26880 + 6600 = 33480
(ङ) मूल पेंशन	:	16740/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6696/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10044/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	16740/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10044/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6696/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37154/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	43850/- (दिनांक-30.11.2022)
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/- (दिनांक-01.12.2022 से अग्रेतर)
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं/-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 234/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/7000/18-19 दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड रामबाग प्रयागराज को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
4. श्री गिरीश प्रकाश श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवसी-एल०आई०जी० 279 गोविन्दपुर कालोनी प्रयागराज।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 210/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4861/11-12

दिनांक: 09.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

जौनपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती निसार फातिमा पत्नी स्व० सैय्यद आरिफ हुसैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती निसार फातिमा पत्नी स्व० सैय्यद आरिफ हुसैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4572 दिनांक 04.01.2012
(ग) जन्मतिथि	:	21.06.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निसार फातिमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	06.07.1963
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.06.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	25840+5400=31240/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	15620/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9372/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	41300/- दि० 20.06.18 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/- दि० 21.06.18 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 210/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4861/11-12

दिनांक: 09.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, जौनपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।
4. श्रीमती निसार फातिमा पत्नी स्व० श्री सैय्यद आरिफ हुसैन, से०नि० अवर अभियन्ता, हुसैन बड़ी मस्जिद, पोस्ट-सदर, जिला-जौनपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 96/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1674/04-05

दिनांक: 04.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री पुष्कल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री पुष्कल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 1741 दिनांक 23.04.2004
(ग) जन्मतिथि	: 01.10.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती कुसुम कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.09.2003
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 5801/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2320/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3481/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4170/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 56 छमाही
 3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 59013/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2320/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63230/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 96/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1674/04-05 दिनांक: 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संगलन कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया।
4. श्री पुष्कल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-पावर हाउस कालोनी, मऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 326/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6062/14-15

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलिया।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रविन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रविन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	5105 दिनांक 09.05.2014
(ग) जन्मतिथि	01.09.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुरसती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	26540 + 6600 = 33140/-
(ङ) मूल पेंशन	16570/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6628/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	9942/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16570/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	9942/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	09
(ख) निर्धारित वेतन	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6628/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	37222/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	43850/- दिनांक 30.08.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26310/- दिनांक 01.01.2019 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 326/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6062/14-15 दिनांक: 10.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अधिशारी अभियन्ता वेब उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड प्रथम, आजमगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप से सलमन कर प्रेषित।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम बलिया।
- श्री रविन्द्र प्रसाद, से०लि० अवर अभियन्ता, निवासी-घा० व पो०-बिलकहर, जानपद बलिया।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 327/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6226/14-15

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5280 दिनांक 30.12.2014
(ग) जन्मतिथि	:	07.12.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2013
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे 6600
 (घ) वेतन : 29500 + 6600 = 36100/-
 (ङ) मूल पेंशन : 18050/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7220/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10830/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : लागू नहीं
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 93000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 46550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 46500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 7220/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39280/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : लागू नहीं
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 327/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6226/14-15 दिनांक: 10.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता वेब 3040 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड प्रथम आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, री०गि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-पियरिया, पो०-औदी, बलिया।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ

पंजीकृत
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 320/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2837/06-07

दिनांक: 10.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

अलीगढ़।

पजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल पत्नी स्व० कृष्ण अवतार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल पत्नी स्व० कृष्ण अवतार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3072 दिनांक 28.11.2006
(ग) जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	25.05.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन -

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 320/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2837/06-07

दिनांक: 10.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसासी अभियन्ता, वेब 30प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप से सलग्न कर प्रेषित।
- श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल पत्नी स्व० श्री कृष्ण अवतार अग्रवाल, सं० नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एल-17, ज्ञान सरोवर कालोनी, राम धार रोड, अलीगढ़।
- सचिव, 30प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

10/01/19

पजीकृत-
पजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 319/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/813/02-03

दिनांक: 10.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मेरठ।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	834 दिनांक 07.06.2002
(ग) जन्मतिथि	27.08.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मालती गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.01.1946
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.08.2001/04.06.2017
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	7485/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2994/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4491/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2994/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	65503/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/- दिनांक 05.06.2017 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 319/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/813/02-03

दिनांक: 10.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।

3. श्रीमती मालती गुप्ता पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-3-बन्शोपुरा, सूरज कुण्ड रोड, मेरठ।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 315/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4235/08-09

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र कुमार आर्या, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र कुमार आर्या, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3828 दिनांक 12.08.2008
(ग) जन्मतिथि	04.12.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.02.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 31.12.2007
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान छठवा वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) 37400-67000 ग्रेड पे 8900
 (घ) वेतन 49680 + 8900 = 58580/-
 (ङ) मूल पेंशन 11835/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग 4734/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन 7101/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर 11835/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 7155/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स 13
 (ख) निर्धारित वेतन 152000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) 76000/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) 76000/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन 9446/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये 66554/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) 76000/- दिनांक 03.12.2016 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 45600/- दिनांक 04.12.2016 से अग्रेतर
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 315/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4235/08-09 दिनांक: 10.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
3. श्री धर्मेन्द्र कुमार आर्या, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एस०-2 ए०, स्कूल, ब्लाक शकरपुर, तिलली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 334/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1072/02-03

दिनांक: 10.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर नगर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री ब्रह्म प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त कार्यालया अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री ब्रह्म प्रकाश सक्सेना, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1133 दिनांक 22.09.2003
(ग) जन्मतिथि	02.10.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शोभा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.10.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.10.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	11300/-
(ङ) मूल पेंशन	4700/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	1880/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2820/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	10
(ख) निर्धारित वेतन	69000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	34500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	28050/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	34500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	1880/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	32620/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	20700/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 334/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1072/02-03 दिनांक: 10.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोविन्द नगर, कानपुर।
3. श्री ब्रह्म प्रकाश सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2304, आवास विकास योजना नं०-03, पनकी कानपुर-17.
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 325/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1786/04-05

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मुस्तफा हसन ईसराईली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मुस्तफा हसन ईसराईली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1920 दिनांक 12.08.2004
(ग) जन्मतिथि	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आसमा ईसराईली
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.09.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	6452/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2580/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3872/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2580/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	62970/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 325/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1786/04-05 दिनांक: 10.01.2019
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
3. श्री मुस्तफा हसन ईसराईली, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-144, इन्डिपुरी निकट भारत गैस गोदाम, रावली रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 335/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6596/16-17

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फिरोजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आनन्द पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आनन्द पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	5779 दिनांक 17.03.2017
(ग) जन्मतिथि	22.10.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मजुल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.10.2011
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवें वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे 5400
 (घ) वेतन : 25570 + 5400 त्र 30970/-
 (ङ) मूल पेंशन : 15485/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6194/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 9291/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 15485/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9291/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 80200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 40100/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 40100/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6194/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाये : 33906/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : 40100/- दिनांक 21.10.2019 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 24060/- दिनांक 22.10.2019 से अग्रेतर
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 335/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6540/16-17 दिनांक: 10.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

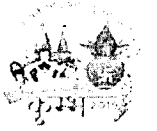
1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, शिकोहाबाद को सेवापुरितका मूलरूप से सलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शिकोहाबाद।
4. श्री आनन्द पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-न्यू यादव कालोनी, बाई पास, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 329/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6046/12-13

दिनांक: 10.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चतुर्भुज नारायण सिंह, सेवानिवृत्त सांख्यिकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चतुर्भुज नारायण सिंह, सेवानिवृत्त सांख्यिकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	5090 दिनांक 26.03.2014
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2013 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छँटवा मेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रेडपे 6600 |
| (घ) वेतन | : | 28830 + 6600 = 35430/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17715/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7086/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10629/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17715/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10629/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7086/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39414/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दिनांक 31.12.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/- दिनांक 01.01.2021 तक
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु -4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 329/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6046/13-14 दिनांक: 10.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री चतुर्भुज नारायण सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-570/238, ए-गोपालपुरी, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
पंजीकृत--

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3027/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/809/02-03

दिनांक: 31.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राधेश्याम पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राधेश्याम पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	852 दिनांक 17.06.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.06.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं/-
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं/-
- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| (घ) वेतन | : | 20000 |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7087/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2834/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4253/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 64 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	139100/-
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2834/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64609/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महोदय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3027/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/809/02-03

दिनांक: 31.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्री राधेश्याम पाण्डेय, महेश अवर अभियन्ता, आश्रम ओम नगर गोरखपुर
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 251/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2833/06-07

दिनांक: 08.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनमदर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रमावती देवी पत्नी स्व० चन्द्रशेखर लाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रमावती देवी पत्नी स्व० चन्द्रशेखर लाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 3110 दिनांक 28.12.2006
(ग) जन्मतिथि	: 28.02.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती रमावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 01.04.1950
- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : 28.02.2006 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : 9300-34800 ग्रेड पे 5400 |
| (घ) वेतन | : 18980 + 5400 = 24380/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : 7650/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 4590/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 09
(ख) निर्धारित वेतन	: 63300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	: लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 18990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 251/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2833/06-07 दिनांक: 08.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता वेब ३०५० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनमदर को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशारी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा सेनमदर।
- श्रीमती रमावती देवी पत्नी स्व० चन्द्रशेखर लाल, अवर अभियन्ता, निवासी-तृतीय-89, अनपरा पापीय परियोजना कालोनी, अनपरा।
- सचिव, ३०५० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 323/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/679/01-02

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आनन्द कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आनन्द कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 709 दिनांक 26.02.2002
(ग) जन्मतिथि	: 15.12.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती उर्मिला शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 15.10.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2000
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे० 8900
 (घ) वेतन : 18200 /-
 (ङ) मूल पेंशन : 5992 /-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2396 /-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3596 /-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 5992 /-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3683 /-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500 /-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550 /-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 67500 /-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2396 /-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 65104 /-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500 /-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 323/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/679/01-02 दिनांक: 10.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री आनन्द कुमार शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-193-डी/जी०ई० ग्रीना इस्टेट, मोदीपुरम, एन०एच०-58, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 322/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3035/07-08

दिनांक: 10.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3265 दिनांक 14.06.2007
(ग) जन्मतिथि	:	09.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती काशमीरा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.04.1948
- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे० पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 6648/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2659/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3989/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4050/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 65 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2659/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये	:	65838/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 322/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3035/07-08 दिनांक: 10.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री जगदीश नारायण पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी पटौबलियाँ, पो०-रायपुरधोर, जि० आरा, बिहार।
- सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2578/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6414/15-16

दिनांक: 12.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5472 दिनांक 30.09.2015
(ग) जन्मतिथि	:	01.12.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सन्तोष शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.11.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 35160/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17580/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7032/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10548/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17580/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10548/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7032/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39468/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन, (हाइडिल)

संख्या: 2578/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6414/15-16 दिनांक: 12.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।
- श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- 58, गली नं० 03, सूर्यनगर, बुहन्दशहर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

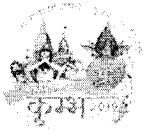
राम कृष्णदुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 3018/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1397/03-04

दिनांक: 31.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शंकर लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शंकर लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक : 1488 दिनांक 31.10.2003
(ग) जन्मतिथि : 01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती शान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 12.11.1945

2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन : 18200/-
(ङ) मूल पेंशन : 5019/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2007/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3012/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3090/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स : 13
(ख) निर्धारित वेतन : 135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 61364/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन : 2007/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63543/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3018/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1397/03-04 दिनांक: 31.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।
3. श्री शंकर लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- 5/204-बी० मो० रामनगर आई०टी०आई० अलीगढ़ गेट के सामने, अलीगढ़।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 06/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4551/10-11

दिनांक: 01.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती पुष्पा शुक्ला पत्नी स्व० श्री अशोक कुमार शुक्ला, कार्या० अधी०(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती पुष्पा शुक्ला पत्नी स्व० श्री अशोक कुमार शुक्ला, कार्या० अधी०(वि०श्रे०) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4272 दिनांक 10.12.2010
(ग) जन्मतिथि	:	05.10.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पुष्पा शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.08.1956
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2010/04.05.2013 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 31080 + 5400 = 36480/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 18240/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10944/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	95500/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47750/- दिनांक 04.10.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28650/- दिनांक 05.10.2017 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 06/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4651/10-11
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 01.01.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. श्रीमती पुष्पा शुक्ला पत्नी स्व० श्री अशोक कुमार शुक्ला, कार्या० अधी०(वि०श्रे०), निवासी-554ख/46, विशेश्वर नगर, आलगाबाग, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

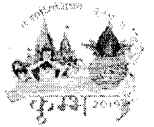
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 39/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4731/11-12

दिनांक: 02.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
एटा।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती जयमन्ती देवी पत्नी स्व० श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती जयमन्ती देवी पत्नी स्व० श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4452 दिनांक 07.05.2011
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती जयमन्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	21.04.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	14330 + 4200 = 18530/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	9265/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5559/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	06
(ख) निर्धारित वेतन	:	48000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	24000/- दिनांक 20.04.2016 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	14400/- दिनांक 21.04.2016 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 39/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4731/11-12

दिनांक: 02.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, एटा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. श्रीमती जयमन्ती देवी पत्नी स्व० श्री सुभाष चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-387, से० 25, संजय नगर, एटा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(Handwritten Signature)

राम चन्द्र

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 12/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/947/99-2000

दिनांक: 01.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री वीरेन्द्र पाल सिंह सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	23 दिनांक 16.02.2000
(ग) जन्मतिथि	:	02.01.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमवती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18200
(ङ) मूल पेंशन	:	5301/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2120/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3181/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	13500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	58296/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 01.01.2019/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/947/99-2000 दिनांक: 01.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, कासिमपुर, अलीगढ़।
- श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम व पोस्ट- साथा, जिला- अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

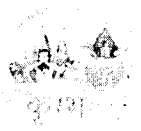
राम चन्द्र

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2879/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5062/12-13

दिनांक: 26.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
एटा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रतन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रतन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4795 दिनांक 22.01.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रूपवती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.08.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँडवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	27170 + 6600 = 33770 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	16265 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6506 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9759 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16265 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9759 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6506 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37344 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850 /- दिनांक 31.07.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310 /- दिनांक 01.08.2019 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2879/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5062/12-13
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 26.12.2018

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड एटा को सेवापुरस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा।
4. श्री रतन सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- 02, लोधी नगर, बगगांव रोड, एटा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

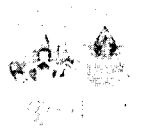
पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2958/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2534/06-07

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2763 दिनांक 16.05.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.11.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लक्ष्मी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2005 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550 13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | (9300 34800 ग्रे०पे० 6600) |
| (घ) वेतन | : | 11850 / - |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 8250 / - |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 3300 / - |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4950 / - |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4950 / - |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300 / -
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32350 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2958/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2534/06-07
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

दिनांक: 28.12.2018

- अधिशारी अभियन्ता, वेब ३०५० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, झांसी।
- श्री महेश चन्द्र मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, मुरली मनोहर मन्दिर, झांसी।
- सचिव, ३०५० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



संख्या: 2910/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1799/04-05

दिनांक: 26.12.18

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुरेश कुमार खत्री सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुरेश कुमार खत्री, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1884 दिनांक 20.07.2004
(ग) जन्मतिथि	:	04.11.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अरूणा खत्री
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7568/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3027/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4541/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3027/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66523/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2910/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1799/04-05

दिनांक: 26.12.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झाँसी।
3. श्री सुरेश कुमार खत्री, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-38, सरफयाना ताल बेहट, जिला-ललितपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2971/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5244/13-14

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र नारायण दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र नारायण दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4970 दिनांक 11.11.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शांती दीक्षित
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.08.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँउवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे 6600
(घ) वेतन	:	26540 + 6600 = 33140 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	16570 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	16570 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16570 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9942 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	43850 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850 /- दिनांक 30.06.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310 /- दिनांक 01.07.2020 से अप्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2971/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5244/13-14
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत
पंजीकृत

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम, झाँसी।
3. श्री देवेन्द्र नारायण दीक्षित, सी०ओ० अवर अभियन्ता, निवासी 519बी, कंठी चौराहा, एम०पी० रोडवेज के पीछे, झाँसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2884/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1098/02-03

दिनांक: 26.12.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
हाथरस।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2640 दिनांक 17.02.2006
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.06.1952
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6845/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2738/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4107/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2738/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

संख्या: 2884/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2432/05-06
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 26.12.18

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत वितरण खण्ड, एटा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस।

4. श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-कनचन नगर, भारत गैस के सामने, आगरा रोड, हाथरस, अलीगढ़

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

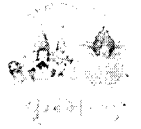
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2882/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1285/03-04

दिनांक: 26.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पी० के० हजेला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पी० के० हजेला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1344 दिनांक 22.07.2003
(ग) जन्मतिथि	:	13.04.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजेश हजेला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	21.11.1952
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	30.04.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6960/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2784/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4176/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2784/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63605/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2882/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1285/03-04
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 26.12.2018

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रतापगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
4. श्री पी० के० हजेला, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-129/21, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2946/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1726/04-05

दिनांक: 27.12.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम दरश शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम दरश शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1808 दिनांक 28.05.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.12.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66510/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2946/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1726/04-05

दिनांक: 27.12.18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।

3. श्री राम दरश शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-नई विलन्दपुर कालोनी, मकान नं० 1871 एन, मो० दाउदपुर, गोरखपुर।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2956/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1507/03-04

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री खुमानी लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री खुमानी लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1560 दिनांक 17.12.2003
(ग) जन्मतिथि	06.06.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती केशर देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2002
 (ख) तत्कालीन लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
 (घ) वेतन : 18650/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6089/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2435/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3654/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3683/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटेक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 67500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2435/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 65065/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2956/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1507/03-04

दिनांक 28.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेद, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झांसी।
3. श्री खुमानी लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, के० 4/एफ-1, के०के० पुरी कालोनी झांसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

(हस्ताक्षर)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2969/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2419/05-06

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रकाश नारायण श्रीवारतव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रकाश नारायण श्रीवारतव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2676 दिनांक 03.03.2006
(ग) जन्मतिथि	:	04.11.1956
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजेशवरी देवी श्रीवारतव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.08.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	01.10.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400 20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400 + 67000 + 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6625/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2650/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3975/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2650/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66900/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या: 2969/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2419/05-06
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 28.12.2018

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत
पंजीकृत

1. अधिशासी अभियन्ता, वेद, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झाँसी।
3. श्री प्रकाश नारायण श्रीवारतव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी ए 325, आवास विकास कालोनी, नंदनपुरा, झाँसी-284003.
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2960/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2235/04-05

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	: 2442 दिनांक 24.08.2005
(ग) जन्मतिथि	: 27.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती पुष्पा द्विवेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 30.12.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2003
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400- 20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400- 67000 ग्रेड पे0 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6200/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2480/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3720/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3975/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 63 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैगैटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 66389/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 66389/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2480/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63909/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2960/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2235/04-05
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

दिनांक: 28.12.2018

1. अधिशासी अभियन्ता, देब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झांसी।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह द्विवेदी, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी प्ल- 83/21, पारीक्षा तापीय कॉलोनी, पारीक्षा, झांसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2907 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1029 / 02-03

दिनांक: 26.12.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री आर० एस० चौरसिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री आर० एस० चौरसिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1047 दिनांक 10.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	06.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विशुनकान्ती चौरसिया
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि | : | 31.07.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | (16400-20000) |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| (घ) वेतन | : | 20000 /- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 6139 /- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2455 /- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3684 /- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4073 /- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 61 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64281 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2455 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63095 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 2907 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1029 / 02-03
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 26.12.18

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर।
- श्री आर० एस० चौरसिया, से०नि० अवर अभियन्ता, डी-17, सूरज कुण्ड, गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2975/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6365/15-16

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कुशीनगर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अनामुल्लाह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अनामुल्लाह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5415 दिनांक 03.08.2015
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अकित नही
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँडवा मेंतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300 - 34800 ग्रेड पे0 6600
(घ) वेतन	:	29850 + 6600 = 36450/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18225/-
(व) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7290/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10935/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नही
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-

(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7290/-
-------------------	---	--------

(व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40610/-
--	---	---------

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नही
-------------------------------------	---	----------

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नही
------------------------------------	---	----------

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही
------------------------------------	---	----------

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2975/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6365/15-16 दिनांक: 28.12.2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पडरौना को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, करापा, कुशीनगर।
4. श्री अनामुल्लाह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी राष्ट्रीय राज मार्ग 28, पिपरा राजजब, काजिलनगर, कुशीनगर।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत
पंजीकृत

राम बहादुर

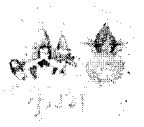
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय, शक्ति भवन विस्तार (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2978/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4506/09-10

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कैलाश नाथ तलवाड़, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कैलाश नाथ तलवाड़, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ संख्या एवं दिनांक	:	4097 दिनांक 08.02.2010
(ग) जन्मतिथि	:	20.05.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राजकुमारी तलवाड़
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.10.1953
- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2004 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | (9300-34800 ग्रेड पे 6600) |
| (घ) वेतन | : | 11575/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7290/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2916/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4374/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4455/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2916/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32734/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2978/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4506/09-10

दिनांक: 28.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झांसी।
- श्री कैलाश नाथ तलवाड़, से0नि0 अवर अभियन्ता, सी0पी0 मिशन, चर्च के पास झांसी।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2979/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4793/11-12

दिनांक: 28.12.2018

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व० दीन दयाल दशाधारी, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व० दीन दयाल दशाधारी, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4516 दिनांक 12-09-2011 13.09.2011
(ग) जन्मतिथि	:	05.12.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कस्तूरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.12.1947
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400 20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400 67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6819/-
(व) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2727/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4092/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2727/-

(व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65770/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2979/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4793/11-12 दिनांक: 28.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, झाँसी।
3. श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व० दीन दयाल दशाधारी, अवर अभियन्ता, निवासी ए 307, आवास विकास नन्दनपुरा, झाँसी।
4. सचिव, उ०प० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2982/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4133/07-08

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नेमी चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नेमी चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	3498 दिनांक 28.02.2008
(ग) जन्मतिथि	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.10.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवें वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (34800+89000 ग्रेडपे0 89000)
 (घ) वेतन : 46310+8900 55210/-
 (ङ) मूल पेंशन : 10095/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4038/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6057/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 10095/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6694/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 143300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 71650/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 71650/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 4038/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 67612/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 42990/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2982/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4133/07-08

दिनांक: 28.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, आगरा।
3. श्री नेमी चन्द्र अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 97 एम0एम0आई0जी0 शहीद नगर, आगरा।
4. सचिव उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत

पंजीकृत

28/12/18
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2970/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/223/2000-01

दिनांक: 28.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री काशी नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री काशी नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 261 दिनांक 09.11.2000
(ग) जन्मतिथि	: 07.02.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती सुमनलता श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 08.12.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 29.02.2000
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे० 8900
 (घ) वेतन : 19100/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6108/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2443/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 3665/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4170/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 58 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 67500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 59319/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 65550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2443/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 63107/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुरार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2970/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/223/2000-01

दिनांक: 28.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

पंजीकृत-
पंजीकृत

1. अधिशासी अभियन्ता, देब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, झाँसी।
3. श्री काशी नाथ श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी पचीपुरा कला, डा० कोव, जि०-जालौन।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

28/12/18
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 153/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1193/04-05

दिनांक: 05.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मिर्जापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मौजी राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मौजी राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1981 दिनांक 04.10.2004
(ग) जन्मतिथि	:	30.09.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती भागीरथी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 5400
(घ) वेतन	:	10750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4700/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1880/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2820/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1880/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31720/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 153/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1193/04-05 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
3. श्री मौजी राम, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-सहन्सापुर, जिला-वाराणसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 112/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2194/04-05

दिनांक: 04.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री ललित किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री ललित किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2411 दिनांक 30.07.2005
(ग) जन्मतिथि	:	25.12.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.10.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6934/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2773/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4161/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2773/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66777/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 112/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2194/04-05
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.01.19

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, प्रयागराज को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
- श्री ललित किशोर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम व पो०-कयालपुर, चन्दौली, वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 3022/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1528/03-04

दिनांक: 31.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1635 दिनांक 11.02.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.06.19945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सोना देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे0 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6510/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2604/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3906/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2604/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63785/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं/-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3022/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1528/03-04
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 31.12.2018

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री उमा शंकर मिश्रा, से0नि0 अवर अभियन्ता, म0न0-108 विष्णु नगर बहारतपुर गोरखपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कारपोरेशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 219/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/618/01-02

दिनांक: 07.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फर्रुखाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमाकान्त उपाध्याय सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमाकान्त उपाध्याय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	638 दिनांक 13.12.2001
(ग) जन्मतिथि	:	02.01.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रमा उपाध्याय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2001
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेडपे0 8900
 (घ) वेतन : 19550/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7055/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2822/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4233/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4365/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 64 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 67443/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 67443/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2822/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 64621/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 219/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/618/07-02

दिनांक: 07.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री उमाकान्त उपाध्याय, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-1/3 दाल मण्डी फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(Signature)

राम ठाकुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 222/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6722/16-17

दिनांक: 07.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

एटा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती वीना द्विवेदी पत्नी स्व० श्री रामाकान्त द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती वीना द्विवेदी पत्नी स्व० श्री रामाकान्त द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार : पारिवारिक पेंशन
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक : 5796 दिनांक 10.04.2017
(ग) जन्मतिथि : अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती वीना द्विवेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 01.09.1954

2. (क) मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे 6600/-
(घ) वेतन : 27170+6600=33770/-
(ङ) मूल पेंशन : लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 16885/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10131/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स : 09
(ख) निर्धारित वेतन : 87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850/- दि० 02.01.2023 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/- दि० 03.01.2023 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 222/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6722/16-17

दिनांक: 07.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्रीमती वीना द्विवेदी पत्नी स्व० श्री रामाकान्त द्विवेदी, से०नि० अवर अभियन्ता, मोहल्ला-शान्ति नगर एटा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (वि०वि०)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 246/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1294/03-04

दिनांक: 08.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मऊ।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री दया शंकर तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री दया शंकर तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1376 दिनांक 08.08.2003
(ग) जन्मतिथि	:	03.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गायत्री देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6377/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2550/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3827/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2550/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63000/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 246/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1294/03-04

दिनांक: 08.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मऊ।
4. श्री दया शंकर तिवारी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गायत्री भवन, मीटी, अंधा मोड, मऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



संख्या: 247/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6691/16-17

दिनांक: 08.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कृष्ण नन्द यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कृष्ण नन्द यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5760 दिनांक 18.01.2017
(ग) जन्मतिथि	:	05.09.1995
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती फूला यादव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2016 30.09.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 6600
(घ) वेतन	:	29630 + 6600 = 36230/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18115/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7246/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10869/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	18115/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10869/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7246/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	47900/- दिनांक 04.09.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740/- दिनांक 05.09.2022 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 247/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6691/16-17

दिनांक: 08.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री कृष्ण नन्द यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-चकभाई खौं, पो०-सदर, आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

श्री कृष्ण नन्द यादव
सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 244/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6001/13-14

दिनांक: 08.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमा शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमा शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5029 दिनांक 17.01.2014
(ग) जन्मतिथि	:	08.08.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अमलावती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.09.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	50280 + 8900 = 59180/-
(ङ) मूल पेंशन	:	29590/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	11836/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	17754/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	29590/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	17754/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	11836/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66464/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	78300/- दिनांक 07.08.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/- दिनांक 08.08.2017 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 244/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6001/13-14

दिनांक: 08.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मऊ को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मऊ।
4. श्री रमा शंकर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम बा पो०-करमी, जनपद, आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 97/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1471/03-04

दिनांक: 04.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री दाऊ दयाल सावंत, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री दाऊ दयाल सावंत, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक	:	1542 दिनांक 04.12.2003
(ग) जन्मतिथि	:	07.10.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती वीनारानी सावंत
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.10.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	13225/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5050/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2020/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3030/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3030/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	77700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	28050
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2020/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36830/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 97/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1471/03-04

दिनांक: 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (पा०म०), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री दाऊ दयाल सावंत, से०नि० कार्यालय अधीक्षक, निवासी-563/88, चित्रकुट नगर, आलमबाग, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(हस्ताक्षर)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
(हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 149/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/912/02-03

दिनांक: 05.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्र भूषण मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चन्द्र भूषण मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5814 दिनांक 26.04.2017
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रूकमणी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	28560 + 6600 = 35160 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	17580 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7032 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10548 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17580 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10548 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7032 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39468 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500 /- दिनांक 30.09.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900 /- दिनांक 01.10.2021 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 149/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/912/02-03 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, वाराणसी को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
4. श्री चन्द्र भूषण मिश्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-परानापुर, पो०- महारजगंज, वाराणसी।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 178/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/912/02-03

दिनांक: 05.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनमद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती बासमती देवी पत्नी स्व० श्री कवल नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती बासमती देवी पत्नी स्व० श्री कवल नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	951 दिनांक 17.09.2002
(ग) जन्मतिथि	:	07.11.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बासमती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : | 30.11.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 10200/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	63300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 178/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/912/02-03 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक(विविध अनुभाग), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा सोनमद्र को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- उपमुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित लेखा एवं बजट संस्थान, रा०वि०उ०नि०लि०, अनपरा सोनमद्र।
- श्रीमती बासमती देवी पत्नी स्व० श्री कवल नाथ शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, आवास संख्या 3/667, अनपरा परि० कालोनी अनपरा, सोनमद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कायम



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या:175/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6765/17-18

दिनांक: 05.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
देवरिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी स्व० गिरीश नारायण सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी स्व० गिरीश नारायण सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5836 दिनांक 05.06.2017
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1956
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1962
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : | 11.10.2016 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवाँ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रेड पे 6600 |
| (घ) वेतन | : | 28940+6600=35540/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17770/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7108/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10662/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17700/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10662/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7108/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39392/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/- दि० 31.12.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/- दि० 01.01.2023 से अग्रतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या:175/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6765/17-18 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया।
- श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी स्व० गिरीश नारायण सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, राम लीला मैदान, हाइडिल कालोनी, नं०-2 हनुमान मंदिर रोड, देवरिया।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

राजेश कुमार (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 93/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1684/04-05

दिनांक: 04.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनभद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हौसला प्रसाद, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हौसला प्रसाद, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1749 दिनांक 28.04.2004
(ग) जन्मतिथि	:	02.12.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5275/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2110/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3165/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2110/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33540/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 93/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1684/04-05 दिनांक: 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना, ओबरा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयन्त्र खण्ड ओबरा।
4. श्री हौसला प्रसाद, से०नि० संगणक, निवासी- 2/424, बुद्धि बिहार आवास विकास, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 150/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6243/14-15

दिनांक: 05.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री इन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री इन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	5275 दिनांक 28.12.2014
(ग) जन्मतिथि	:	03.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती हेमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.08.1962
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	61060+8900=69960/-
(ङ) मूल पेंशन	:	34980/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	13992/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	20988/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	34980/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	20988/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	181500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	90750/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	90750/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	13992/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	76758/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	90750/- दि० 02.01.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	54450/- दि० 03.01.2021 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 150/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6243/14-15 दिनांक: 05.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा 282005।
- श्री इन्द्रपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, 36 राहुल ग्रीन, फेस-1, दयालबाग, आगरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 94/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1373/03-04

दिनांक: 04.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री गिरिवर धारी तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री गिरिवर धारी तिवारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1465 दिनांक 15.10.2003
(ग) जन्मतिथि	:	06.01.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला तिवारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2822/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4233/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2822/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64621/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 94/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1373/03-04 दिनांक: 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री गिरिवर धारी तिवारी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एम०एम०-27, फेज-01, प्रेमचन्द नगर कालोनी, पाण्डेपुर, वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 95/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2129/04-05

दिनांक: 04.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गुप्तेशवर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गुप्तेशवर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2406 दिनांक 30.07.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलावती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7102/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2840/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4262/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा

विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2840/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64603/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 98/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2129/04-05

दिनांक: 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी
3. श्री गुप्तेशवर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-18/96 क-3, मौजा हाल, तपोवन आश्रम, वाराणसी-221007.
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 86/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4335/09-10

दिनांक: 04.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुजफ्फर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री धर्मपाल त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री धर्मपाल त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3941 दिनांक 30.06.2009
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सन्तोष त्यागी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2008 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | छठवा वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 51440 + 8900 = 60340/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 24325/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 9730/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 14595/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 24325/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 14595/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 86/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4335/09-10

दिनांक: 04.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- श्री धर्मपाल सिंह, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-372, पटेल नगर, नई मन्डी, मुजफ्फरनगर, रीलायसं टावर के पास।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ